


हुई हैं। आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी का वर्तमान मौके व रिकॉर्ड की स्थिति को यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारान् को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिसेज तलब होकर वक वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुरखा किया जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 20.08.2025 को पेश हो।

  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 (रविप्रकाश RAS)  
 उपायुक्त-अधिकारी एवं बंदेन  
 सहायक कलेक्टर, मैतागण (ब्याबर)

20/08/25

पञ्जावली पेशा दुरी / आधी 04.

मकरन आ मूल वाडपत्र आधी वाडी द्वारा  
 आरिष विडोल सम्पन्न खारिज करवाने बाबत प्रथम पत्र  
 पेश करने से मूल वाड आरिष विडोल खारिज भिजा  
 जा चुका है अतः हस्तगत प्रकरण में अन्य और आधी वाली  
 अपेक्षित नहीं रहने से उक्त हस्तगत प्रकरण आरिष  
 विडोल खारिज किया जाता है पत्रावली कुसल शुभारंभ  
 होकर नम्बर से कुम हो वाड तकमिल जाता साबित  
 दफ्तर लिखा भण्डार जमा हो

(रविप्रकाश RAS)  
 उपायुक्त-अधिकारी एवं बंदेन  
 सहायक कलेक्टर, मैतागण (ब्याबर)

म. श्री,  
 हुहाराम  
 श्री गीतिका